अनवान

छगनाराम वगैराह बनाम सरकार

दिनांक 17.08.2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी, जिला बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 686/2021 अनवान सरकार बनाम छगनाराम वगैराह में पारित दिनांक 16.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। श्री जोगाराम पुत्र राणाराम निवासी– गोलिया भाटा तहसील सिणधरी की ओर से श्री एम0एल0 खत्री अधिवक्ता के द्वारा केविएट पेश किया गया।

अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से उपस्थित दोनों अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील बाबत की गई बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी, जिला बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार, सिणधरी से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच करवाकर मौका नक्शा व मौका फर्द तलब की जावे तत्पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर